न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 03/2017

1. बालुराम पुत्र श्री नाथूराम जाति–जाट, उम्र–67 साल, निवासी दयालपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज0)
2. सरपंच ग्राम पंचायत दयालपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज0)।

.....अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध फैसला दिनांक 15.05.1989 अपील संख्या 04/88 बअनवान मोतीराम बनाम बालूराम वगैरहा, जो ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 को निरस्त करने बाबत श्रीमान विकास अधिकारी महोदय, पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री भैरोंसिंह शेखावत व श्री नागपाल सिंह प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर व श्री लाल सिंह गोदारा अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–25.03.2021

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रार्थी बालुराम को ग्राम पंचायत दयालपुरा की और से उसकी कब्जासुदा भूमि का पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 को जारी किया गया था। पट्टा निगरानीकार बालूराम के नाम से विधिवत ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा जारी किया हुआ है जिसमें पट्टा बनाने से पूर्व से ही बालुराम का कब्जा था। निगरानीकार की इस भूमि के पश्चिम साईड में मोतीराम के रिहायशी

अतिरिक्त जिला कलक्टर

मकानात है। उक्त मोतीराम ने निगरानीकार की भूमि हड़पने की नियत से विकास अधिकारी पंचायत समिति डीडवाना के यहां समक्ष अपील 04/88 इस आशय की पेश की कि प्रार्थी बालुराम को जो भूमि का पट्टा दिया गया है उस पर प्रार्थी बालुराम का कब्जा कभी भी नहीं रहा है जिस कारण पट्टा राजस्थान पंचायत नियम 1959 के नियम 266 के अन्तर्गत जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा यह पट्टा दिनांक 30.04.1988 को जारी किया गया है जबकि इससे पूर्व ग्राम पंचायतों को पट्टे देने के अधिकार राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर जिलाधिश को दे दिये थे। मोतीराम ने उक्त अपील में झूठे तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट मंगवाकर निगरानीकार की गैर मौजुदगी में ही उक्त अपील का तत्कालीन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलिभगत कर फैसला करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्त अपील में मौका रिपोर्ट व गवाहों के बयान के आधार पर उक्त भूखण्ड पर बालुराम का कब्जा नहीं होने, भूखण्ड खुला होने व बालुराम का मकान भूखण्ड से दूर होना मानते हुये निगरानीकार बालुराम को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपने निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 को निरस्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी बालुराम के आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 को निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील में निर्णय पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है व पट्टा पत्रावाली पर उपलब्ध सामग्री का सही विवेचन ना करते हुये निर्णय पारित किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का अपील संख्या 04/88 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.1989 अधीन निगरानी अपास्त होने योग्य है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण 01 व 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार माथुर व लाल सिंह गोदारा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

सचिव ग्राम पंचायत दयालपुरा, पंचायत समिति डीडवाना ने अपने पत्रांक 160 दिनांक 12.06.2017 के द्वारा पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 से संबंधित अपने न्यायालय का मूल रिकार्ड (मूल रोकड़ पुस्तिका, बैठक कार्यवाही

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर

रजिस्टर व मूल मिसल पत्रावली) प्रस्तुत किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति डीडवाना ने अपने पत्रांक 367 दिनांक 15.06.2017 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की अपील संख्या 04/88 मोतीराम बनाम बालुराम निवासी दयालपुरा की पत्रावली प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 02.04.2018 को रूपाराम पुत्र मोतीराम निवासी दयालपुरा द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर जैरकार निगरानी में आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर सुनवायी का अवसर देने का निवेदन किया गया। निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रूपाराम पुत्र मोतीराम निवासी दयालपुरा द्वारा दिनांक 02.04.2018 को प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का जवाब दिनांक 11.07. 2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदनकर्ता रूपाराम का उक्त सम्पति में कोई हक अधिकार या हित नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायाहित में खारिज फरमावे। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन पत्र व जवाब आवेदन में किये गय कथनों, इनके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों तथा बहस पर मनन पश्चात न्यायालय द्वारा प्रार्थी रूपाराम का प्रश्नगत सम्पति में कोई हक अधिकार या हित नहीं होने से निर्णय दिनांक 02.04.2018 से रूपाराम पुत्र मोतीराम निवासी दयालपुरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. खारिज किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्यतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के निगरानी मिमो में किये गये कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 139(13)ग्रावि/विधि/चुनाव/88/529 दिनांक 28.04.88 द्वारा राज्य सरकार द्वारा पंचायतो में निहित आबादी भूमि बैचान की समस्त शक्तियां पंचायतों से वापस लेकर दिनांक 22.09.88 तक संबंधित जिला कलक्टरों को प्रदान कर दी गयी थी। हस्तगत पट्टा संख्या पट्टा संख्या 39 ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा निगरानीकार के पक्ष में दिनांक 30.04.1988 को जारी किया गया है जबकी उक्त समय ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं था।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा वक्त बहस यह भी कथन किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 जिस भुखण्ड का जारी किया गया है वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर निगरानीकार का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा वक्त बहस अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजों की सूची के संलग्न ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 139(13)ग्राविप/विधि/चुनाव/88/529 दिनांक 28.04.88 व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 139(13)ग्राविप/विधि/चुनाव/88/1072 दिनांक 20.09.88 की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गयी जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की जिसमें मुख्यतः प्रस्तुत निगरानी मिमो में किये गये कथन को ही दोहराते हुये कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा विकास अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी थी जबकी अपीलार्थी मोतीराम को अपील पेश करने का कोई अधिकान नहीं बनता क्योंकि विवादित जायगा न तो अपीलार्थी की थी, न ही उक्त जायगा में अपीलार्थी का कोई हित था और न ही अप्रार्थी जनप्रतिनिधी थे। नजरी नक्शा अनुसार विवादित जायगा अपीलार्थी मोतीराम की जायगा के सामने होने के कारण अपीलार्थी का उदेश्य केवल प्रार्थी बालूराम की जायगा को हड़पने का था। विवादित जायगा का पट्टा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार भी सरपंच व विकास अधिकारी को ही था। अपीलार्थी मोतीराम के पुत्र रूपाराम ने सिविल कोर्ट में आर्डर 1 नियम 8 सी.पी.सी. क तहत जनप्रतिनिधी की हैसियत से पेश किया था जिसमें सिविल कोर्ट ने रूपाराम के विवादित जायगा में कोई हक व अधिकार नहीं होने और उनको जनप्रतिनिधि नहीं मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में भी रूपाराम का विवादित जायगा में कोई हक व हिस्सा नहीं मानते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 01 नियम 10 को खारिज किया गया था। वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना की प्रति न तो प्रमाणित प्रति है और न ही उसके साथ ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें लिखा हो कि ग्राम पंचायतों को पट्टा जारी करने संबंधि शक्तियां राज्य सरकार ने वापस ले ली हो, उसमें केवल बैचान संबंधि शक्तियां वापस लेना का उल्लेख है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर

जैसनिगरानी अपील में निगरानीकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.1889 को अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी गई, पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन व मनन पश्चात इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि श्री बालूराम पुत्र श्री नाथूराम जाति जाट निवासी दयालपुरा द्वारा आबादी क्षेत्र में कब्जे की भूमि का भूमि विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय दयालपुरा में आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा सरपंच की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.1988 को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 01 सर्व सम्मति से पारित कर आवेदक की जमीन जो उनके कब्जे में है, की मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु पंचो की कमेटी का गठन कर उन्हे निर्देशित किया गया की आवेदक की जमीन के संबंध में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 10.03.1988 को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में आवेदक की भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक की भूमि के संबंध में 01 माह का सार्वजनिक एतराज नोटिस जारी किया गया। दिनांक 10.04.1988 को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में आवेदक की भूमि के संबंध में 01 माह में कोई एतराज प्राप्त नहीं होने से प्रस्ताव संख्या 01 पारित कर आवेदक बालूराम से 50 पैसा प्रति वर्ग गज का लेकर उनकी 105 वर्ग गज जमीन का पट्टा जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में आवेदक बालूराम द्वारा रसीद संख्या 71 दिनांक 30.04.1988 से ग्राम पंचायत में राशि जमा करवायी गई व ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक बालूराम को पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 जारी किया गया। आवेदक बालूराम को उनके आबादी क्षेत्र में कब्जे की भूमि का भूमि विक्रय विलेख जारी करने हेतु पंचायत स्तर पर की गई समस्त कार्यवाही मिसल संख्या 25/10.04.88, ग्राम पंचायत दयालपुरा के पंचों की बैठक की कार्यवाही विवरण रजिस्टर व ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में संधारित है।

ग्राम पंचायत दयालपुरा के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है, कि ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा बालूराम को जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 के जारी करने में समस्त कार्यवाही विधि अनुसार संपादित की गयी है व

कलक्टर, डीडवाना

ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक बालूराम से 50 पैसा प्रति वर्ग गज का लेकर उनकी 105 वर्ग गज जमीन का पट्टा जारी करने का निर्णय भी ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.04.1988 को अपने प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। उक्त दिनांक 10.04.1988 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 139(13)ग्राविप/विधि/चुनाव/88/529 दिनांक 28.04.88 जिसके द्वारा राज्य सरकार पंचायतो में निहित आबादी भूमि बैचान की समस्त शक्तियां पंचायतों से वापस लेकर दिनांक 22.09.88 तक संबंधित जिला कलक्टरों को प्रदान कर दी गयी थी, प्रभावी नहीं थी। परन्तु आवेदक बालूराम द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णयानुसार जमीन के विक्रय की राशि दिनांक 30.04.1988 को जमा करवाने से पट्टा दिनांक 30.04.1988 को जारी किया गया जबकि उक्त दिवस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 139(13)ग्राविप/विधि/चुनाव/88/529 दिनांक 28.04.88 प्रभावी थी। चुँकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक बालूराम को सशुल्क पट्टा जारी करने का निर्णय दिनांक 10.04.1988 को ही कर लिया गया था तत्समय ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार था, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों से उक्त दिवस पट्टा जारी करने का अधिकार प्रत्याहारित नहीं किया गया थे। दिनांक 10.04.1988 के बाद दिनांक 30.04.1988 को ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा आवेदक बालूराम से राशि जमा करवाने व पट्टा जारी करने के संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही दिनांक 10.04.1988 के निर्णय के क्रम में की गई मात्र प्रशासनीक कार्यवाही मात्र है।

ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा बालूराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी दयालपुरा को उनके आबादी क्षेत्र में कब्जे की भूमि का जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 के विरूद्ध मोतिराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी दयालपुरा द्वारा यह कथन करते हुये अपील संख्या 04/88 बअनुवान मोतीराम बनाम बालूराम वगै. प्रस्तुत की कि ग्राम पंचायत द्वारा बालूराम के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया है वह भूमि आम गुवाड़ की है जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है तथा जिस तारिख को पट्टा जारी किया गया था उस समय ग्राम पंचायतों को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति डीडवाना द्वारा उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 15.05.89 से ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा बालूराम पुत्र

नाथूराम जाति जाट निवासी दयालपुरा को उनके आबादी क्षेत्र में कब्जे की भूमि का जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 30.04.1988 को यह कथन करते हुये निरस्त कर दिया कि ग्राम पंचायत ने जो पट्टा दिया है उस भूखण्ड पर कभी बालूराम का कब्जा नहीं रहा है। बालूराम का स्वयं का मकान इससे दूर है तथा भूखण्ड खुला है इससे भी बालूराम का कब्जा प्रमाणित नहीं होता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा धारक बालूराम को केवल एक बार तामील जारी की गयी जो अदम तामील लोटी। पत्रावली पर इस अदम तामील के बाद कभी भी पुनः तामील हेतु कोई भी नोटिस/पत्र आदि जारी नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की मिसल की आदेशिकाओं से भी स्पष्ट है कि निगरानीकार/प्रत्यर्थीगण को दुबारा तामील हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गये। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 04/88 बअनुवान मोतीराम बनाम बालूराम वगै. में बिना प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का मौका दिये हुये निर्णय पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिंद्धात के विरूद्ध है।

—:आदेशः—

उपर्युक्त वर्णित विवेचन अनुसार निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर पंचायत समिति डीडवाना द्वारा अपील संख्या 04/88 बअनुवान मोतीराम बनाम बालूराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 15.05.89 अपास्त किया जाता है। प्रकरण पंचायत समिति डीडवाना को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि वह निगरानीकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना